



रामपुर पुलिस



गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 20.11.2023 को मा0 एडीजे-3, रामपुर द्वारा थाना केमरी, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2014, धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी पिंटू पुत्र राम नरायण निवासी भमौरा थाना शाही जनपद बरेली को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं 05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।